



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 05.03.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना खीरी पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद करके अभियुक्त अजमल उर्फ छोटे को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम, अपराधियों की गिरफ्तारी व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 05.03.23 को थाना खीरी पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद करके 01 नफर अभियुक्त अजमल उर्फ छोटे थाना व जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना खीरी पर मु0अ0सं0 93/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा गया है।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर
- 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1. उ0नि0 ओमप्रकाश सरोज, थाना खीरी
- 2. उ0नि0 दशरथ यादव
- 3. का0 शिवा
- 4. का0 अंकित

थाना पसगवां पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद करके अभियुक्त सुनील पुत्र बालकिशुन को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम, अपराधियों की गिरफ्तारी व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 05.03.23 को थाना पसगवां पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद करके अभियुक्त सुनील पुत्र बालकिशुन को जसमढी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना पसगवां पर मु०अ०सं० 85/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सुनील पुत्र बालकिशुन नि० मवईयाँ थाना पिहानी जनपद हरदोई

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर
01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ०नि० सुनील बाबू अवस्थी
2. हे०का० गेंदनलाल
3. का० बृहमलाल
4. का० रामनरेश
5. का० अंकित हुड्डा

थाना पसगवां पुलिस द्वारा, दुष्कर्म के पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त सत्यपाल पुत्र मोतीलाल को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 05.03.23 को थाना पसगवां पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 77/23 धारा 376 भादवि में वांछित अभियुक्त सत्यपाल पुत्र मोतीलाल को पनई तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सत्यपाल पुत्र मोतीलाल नि0 ग्राम सदरियापुर थाना पसगवां जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1-उ0नि0 विशाल सिंह
- 2-हे0का0 अनिल कुमार
- 3-का0 धर्मेन्द्र सिंह

लखीमपुर खीरी शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु शहर को किया गया 02 जोन व 06 सेक्टरों में विभाजित; प्रत्येक सेक्टर में की गई टीएसआई की तैनाती



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में यातायात व्यवस्था के सुगम व सुचारु रूप से संचालन हेतु दिए गए निर्देश के क्रम में आज दिनांक 05.03.2023 को नवनियुक्त प्रभारी यातायात, श्री चिरंजीव मोहन द्वारा यातायात कार्यालय में समस्त यातायात उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी व आरक्षियों की मीटिंग कर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशों से अवगत कराया गया। जिसमें होली पर्व पर शराब पीकर वाहन चलाने वाले व्यक्तियों की कड़ी चैकिंग कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु बताया गया। साथ ही यातायात सभी कर्मचारियों को ड्यूटी स्थान पर निर्धारित वर्दी में रेडियम की जैकेट पहनने के निर्देश दिए गए और रात्रि में ट्रैफिक टॉर्चों के प्रयोग करने हेतु निर्देशित किया गया।

लखीमपुर खीरी शहर की यातायात व्यवस्था के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु शहर को 02 जोन व 06 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। प्रथम जोन एलआरपी चौराहा के अंतर्गत 03 सेक्टरों में विभाजित किया गया है व द्वितीय जोन संकटा देवी चौराहा के अंतर्गत 03 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सेक्टर में 01-01 टीएसआई की तैनाती की गई है।

<p>जोन प्रथम- एलआरपी चौराहा</p>	<p>सेक्टर-1 राजापुर चौराहा</p>	राजापुर चौराहा
		गुरुगोविन्द सिंह चौक
		सौजन्या तिराहा
		डॉन बॉस्को नहर पुलिया
		रेलवे क्रॉसिंग राजापुर
		नहर तिराहा बाईपास रामापुर
		रामापुर बाईपास तिराहा
	<p>सेक्टर-2 एलआरपी चौराहा</p>	एलआरपी चौराहा
		छाउछ चौराहा
		बरगद चौराहा
		लालपुर बैरियर
		गुरुनानक पुलिया
	<p>सेक्टर-3 ओवरब्रिज रेलवे स्टेशन</p>	ओवरब्रिज
		हीरालाल
		गुरुगोविन्द
		पंजाबी कॉलोनी

जोन द्वितीय- संकटा देवी चौराहा	सेक्टर-4 संकटा देवी चौराहा	संकटा देवी चौराहा
		कृष्णा टॉकिज
		देवकली मोड़
		पंडित दीनदयाल चौराहा
		भंसड़िया क्रासिंग
		गोविन्द डेयरी तिराहा
	सेक्टर-5 मेला मैदान चौराहा	मेला मैदान चौराहा
		भुईफोरवानाथ मन्दिर तिराहा
		सेठ घाठ तिराहा
		पलिया बस अड्डा
		सेंधरी बाईपास
		हाथीपुर गुरुद्वारा मोड़
	सेक्टर-6 सदर चौराहा	महेवागंज तिराहा
		सदर चौराहा
		हमदर्द तिराहा
		इमली तिराहा
		अस्पताल तिराहा
		पुराना एसपी बंगला (हिदायतनगर)
		विलोबी हॉल तिराहा
		नौरंगाबाद चौराहा
		लोहिया भवन चौराहा
कचहरी तिराहा		
मिश्राना चौराहा		
शहपुरा कोठी चौराहा		
हिदायतनगर		
कम्पनी बाग तिराहा		
कपूरथला तिराहा		
बरगद तिराहा		

डायवर्जन-

1-महेवागंज, पलिया बस स्टैण्ड, मेला मैदान से आने वाले वाहन इमली तिराहा, दुखहरण नाथ मन्दिर तिराहा, कंपनी बाग तिराहा, विलोबी हॉल तिराहा, शाहपुरा कोठी चौराहा होते हुए नौरंगाबाद की ओर जाएंगे।

2-विलोबी हॉल तिराहा से शहर के अन्दर आने वाले वाहन विलोबी हॉल तिराहा से लोहिया भवन, महिला अस्पताल, जीआईसी तिराहा, गुरुगोविन्द सिंह चौक होते हुए शहर के अन्दर जायेंगे।

3-पैदल, साइकिल, दो पहिया वाहन के अलावा कोई भी वाहन मेला मैदान से संकटा देवी की तरफ नहीं जायेंगे।

एकल दिशा मार्ग (ONE WAY)-

1-संकटा देवी से अस्पताल की तरफ वाहन जायेंगे।

2-संकटा देवी चौराहा से हमदर्द तिराहा तक तीन पहिया वाहन व चार पहिया वाहन नहीं जायेंगे।

शहर में कामर्शियल/भारी वाहनों की नो एन्ट्री-

1-कामर्शियल/भारी वाहन/ट्रेक्टर-ट्रालियों का प्रवेश प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 21.00 बजे तक एलआरपी से सैन्धरी व सैन्धरी से एलआरपी तक पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

2- कामर्शियल/भारी वाहन/ट्रेक्टर-ट्रालियों का प्रवेश प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 21.00 बजे तक देवकली मोड़ तिराहा से संकटा देवी की तरफ पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

3-डॉन बास्कों से शहर की ओर आने वाले कामर्शियल/भारी वाहन/ट्रेक्टर-ट्रालियों का प्रवेश प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 21.00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

4- नौरंगाबाद चौराहा से शहर की ओर आने वाले कामर्शियल/भारी वाहन/ट्रेक्टर-ट्रालियों का प्रवेश प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 21.00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

अवैध शराब के विरुद्ध वृहद स्तर पर कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 592 लीटर अवैध शराब, 10 अवैध शराब भट्टी बरामद कर 35 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। जनपद के विभिन्न थानों द्वारा इस अभियान के तहत पुलिस टीम का गठन किया गया है जिनके द्वारा नियमित रूप से क्षेत्र के गांवों में दबिश देकर अवैध शराब का निर्माण करने वालों को गिरफ्तार करके मौके पर भारी मात्रा में लहन नष्ट किया जा रहा है। इसी क्रम में विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 592 लीटर अवैध कच्ची शराब, 10 अवैध शराब भट्टी व शराब बनाने के विभिन्न उपकरण बरामद कर 35 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किए गए। साथ ही मौके पर भारी मात्रा में लहन भी नष्ट किया गया है।